

# कक्षा-9वीं राजस्थान बोर्ड 2027

## ARJUN BATCH

लोकतांत्रिक राजनीति

# संविधान का निर्माण

CHAPTER 02 || PART - 07

LIVE | 09 SEP | 5 PM



# आज क्या पढ़ेंगे ?

अभ्यास प्रश्न



नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं। हर एक में गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें।

क. स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं,  
इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने  
अपना दिमाग खुला रखा था।

उत्तर : यह एक सही कथन है।

1

ख. भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हरेक बात पर सहमत थे।

उत्तर :

✓ संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर भारत की संविधान सभा के सदस्यों की अलग-अलग राय थी।

1

ग. जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी।

उत्तर :

इस अध्याय में दी गई जानकारी के संदर्भ में निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है।

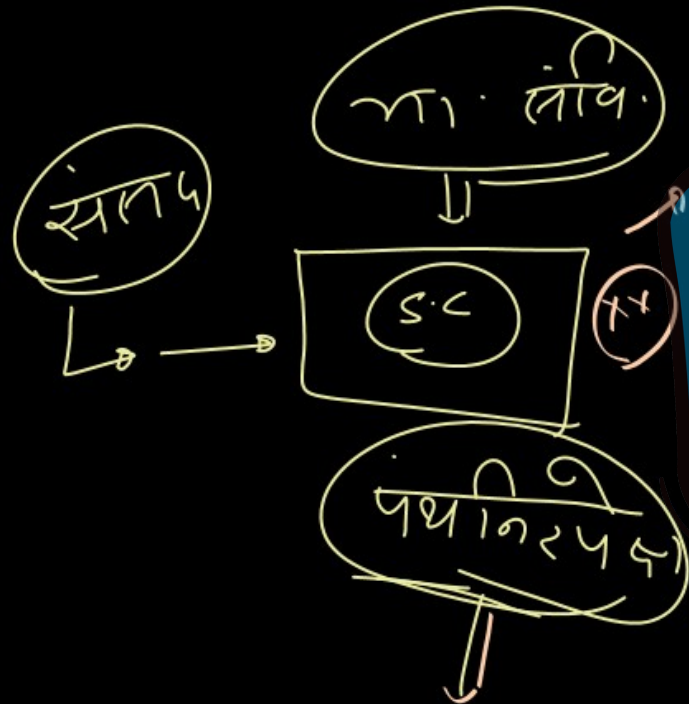
1

घ. संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।

368

उत्तर :

समाज की आकांक्षा में बदलाव के साथ संविधान में संशोधन किया जा सकता है।



दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में, इनमें से कौन-सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था :

- क. दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का
- ख. स्त्रियों और पुरुषों का
- ग. गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का
- घ. रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का

**उत्तर :**

रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का

लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन-सा -सा प्रावधान धान नहीं रहता?

- ☒ क. शासन प्रमुख के अधिकार
- ☒ ख. शासन प्रमुख के नाम
- ☒ ग. विधायिका के अधिकार
- ☒ घ. देश का नाम



**उत्तर :** शासन प्रमुख के नाम

**संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएँ :**

क. मोतीलाल नेहरू

ख. बी.आर. अंबेडकर

ग. राजेन्द्र प्रसाद

घ. सरोजिनी नायडू

1. संविधान सभा के अध्यक्ष

2. संविधान सभा की सदस्य

3. प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष

4. 1928 में भारत का  
संविधान बनाया

उत्तर :

क. मोतीलाल नेहरू

ख. बी. आर. अंबेडकर

ग. राजेंद्र प्रसाद

घ. सरोजिनी नायडू

4. 1928 में भारत का संविधान बनाया

3. प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष

1. संविधान सभा के अध्यक्ष

2. संविधान सभा की सदस्य

15 Aug 1947

जवाहर लाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार  
वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का

जवाब दें:

क. नेहरू ने क्यों कहा की भारत का भविष्य सुस्ताने  
और आराम करने का नहीं है ?

उत्तर : एक राष्ट्र के निर्माण का कार्य एक गर्वनीय कार्य है  
जिसे एक जीवनकाल में पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए  
नेहरू ने अभिव्यक्ति का उपयोग किया था, "पूरी तरह से या  
पूर्ण माप में नहीं, बल्कि पर्याप्त रूप से"।

5

ख. नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं?

उत्तर :

mg

5

ग. वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे?

उत्तर :

गैह्य

जो शपथ वे भारत के संविधान निर्माताओं से लेना चाहते थे वह यह थी कि वे अपना जीवन भारतीय लोगों की सेवा को अर्पित कर दें। वह चाहता थे कि वे उस बड़ी ज़िम्मेदारी को समझें जो नियति ने उन्हें दी है।

5

घ. "हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है।" वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे?

उत्तर : वह महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे।

हमारे संविधान दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं। इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए।

क. संप्रभु

1. सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी।

ख. गणतंत्र

2. फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों पास है।

ग. बंधुत्व

3. शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है।

घ. धर्मनिरपेक्ष

4. लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए।

उत्तर :

क. संप्रभु

ख. गणतंत्र

ग. बंधुत्व

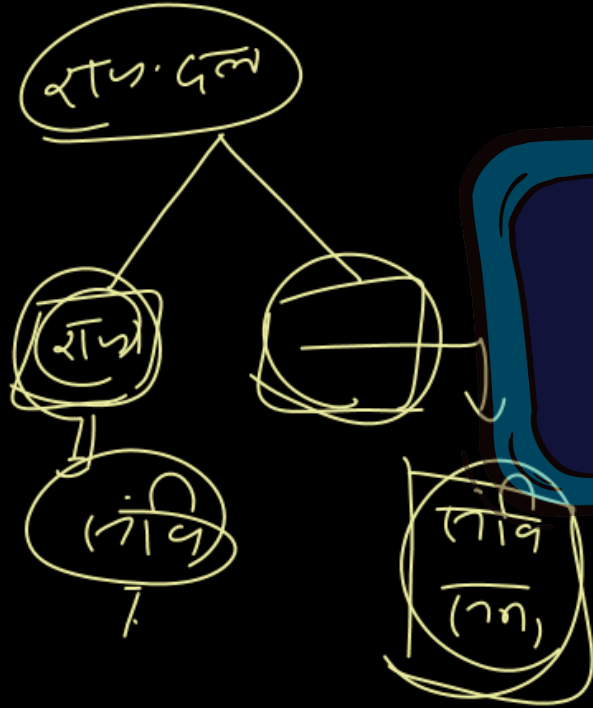
घ. धर्मनिरपेक्ष

2. फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों पास है।

3. शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है।

4. लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए।

1. सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी।



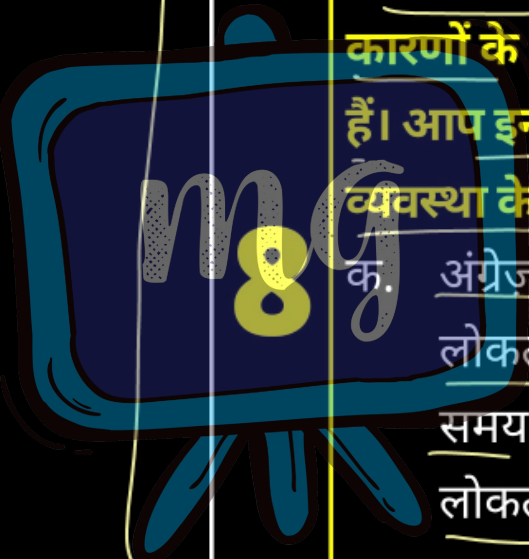
कुछ दिन पहले नेपाल आपके एक मित्र ने वहां की राजनैतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहां अनेक राजनैतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था की राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थीं। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें।

उत्तर :

दोनों विकल्प प्रशंसनीय हैं। यदि मौजूदा संविधान उचित है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तियों को शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।

यदि मौजूदा संविधान खामियों से भरा है तो एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए।

इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करके एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और उन्हें सामूहिक रूप से किसी विशेष विकल्प के बारे में निर्णय लेना चाहिए।



भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग-अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं?

क. अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के ज़रिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया।

उत्तर :

इस तथ्य के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमने ब्रिटिश शासकों से कई अच्छी चीजें सीखीं और लोकतंत्र उनमें से एक था।



8

mg

ख. हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह-तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था।

उत्तर :

भारत में राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने और सर्वसम्मति से निर्णय लेने के अभ्यास को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण था।

8

mg

- ग. हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी।  
अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना  
हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित  
करता है।

# अभ्यास प्रश्न

उत्तर :

हम वास्तव में भाग्यशाली थे कि हमारे पास ऐसे नेता नहीं थे जो निरंकुश थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम समकालीन इतिहास में रक्तहीन स्वतंत्रता संघर्ष का एकमात्र उदाहरण है। यह संभव हो सकता है क्योंकि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं में दूसरों के विचारों को सुनने की परिपक्वता थी।

1912 में प्रकाशित 'विवाहित महिलाओं के लिए आचरण' पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें :

"ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक, दोनों ही तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है। उन्हें आत्म रक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है-कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुगृहीत होना चाहिए की वे अपने आपको पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं।" क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं?

उत्तर :

संविधान हर नागरिक के साथ समान रूप से लैंगिक भेद करता है। इसलिए यह अनुच्छेद हमारे संविधान में अंतर्निहित मूल्य को नहीं दर्शाता है।



निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए:

क. संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है।

उत्तर :

यह एक सही कथन नहीं है क्योंकि संविधान के नियमों का अधिकार किसी भी अन्य कानून की तुलना में बहुत अधिक है।

10

ख. संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा।

उत्तर :

नहीं, यह सही नहीं है क्योंकि हमारा संविधान यह बताता है कि सरकार के विभिन्न अंगों का गठन कैसे किया जाएगा।

10

ग. नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है।

उत्तर :

यह एक सही कथन है क्योंकि हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकारों और सरकार की शक्ति पर सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं।

10

घ. संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना-देना नहीं है।

उत्तर :

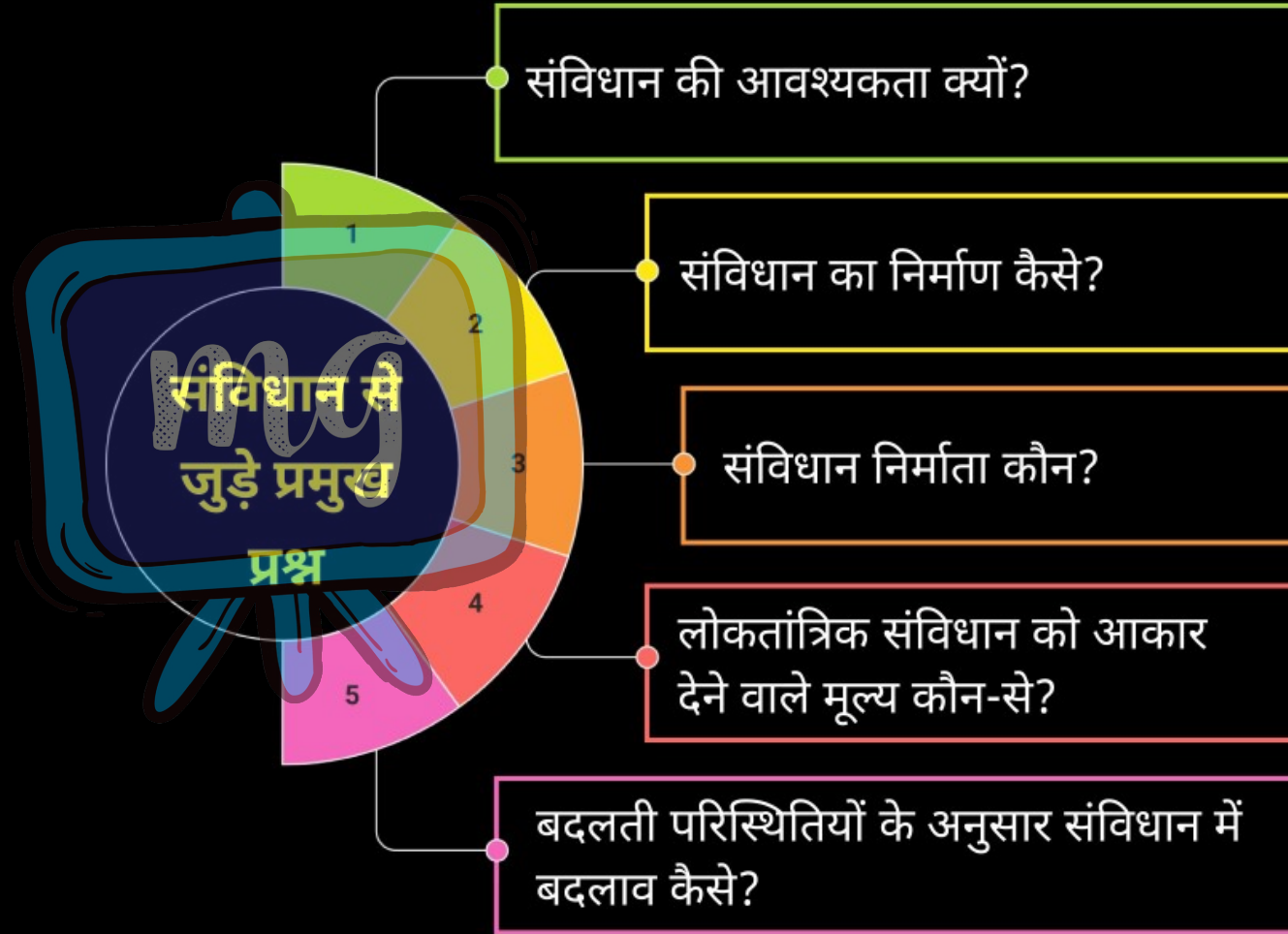
mg

एक संविधान उन संस्थानों के बारे में है, जिनके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को विकसित किया जा रहा है।

## संविधान : परिचय

### संविधान का अर्थ :

- नागरिकों तथा सरकार द्वारा मान्य बुनियादी नियमों का सम्मिलित रूप।
- देश का सर्वोच्च कानून।
- निर्धारण—
  - नागरिकों के अधिकार
  - सरकार की शक्तियाँ
  - सरकार के कामकाज के तरीके
- लोकतंत्र में शासकों की मनमानी पर नियंत्रण।



## दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान

### रंगभेद का अर्थ :-

- नस्ली भेदभाव पर आधारित शासन व्यवस्था।
- दक्षिण अफ्रीका में यूरोपीय गोरे लोगों द्वारा लागू।
- लोगों का विभाजन मुख्यतः चमड़ी के रंग के आधार पर।

## दक्षिण अफ्रीकी समाज

- स्थानीय अश्वेत → लगभग तीन-चौथाई आबादी।
- अन्य समूह -
  - श्वेत
  - मिश्रित नस्ल के 'रंगीन' लोग
  - भारतीय मूल के लोग
- गोरे शासकों द्वारा गैर-श्वेत लोगों को हीन समझना।
- गैर-श्वेत लोगों को मताधिकार से वंचित।

## रंगभेद व्यवस्था की विशेषताएँ

- अश्वेतों को श्वेत बस्तियों में रहने की अनुमति नहीं।
- श्वेत क्षेत्रों में काम के लिए परमिट आवश्यक।
- नस्ल के आधार पर अलग-अलग व्यवस्था—
  - रेलगाड़ी
  - बस/टैक्सी
  - होटल
  - अस्पताल
  - स्कूल-कॉलेज

- पुस्तकालय
- सिनेमाघर/नाट्यगृह
- समुद्र तट
- तरणताल
- सार्वजनिक शौचालय

➤ श्वेतों के लिए आरक्षित स्थानों व गिरजाघरों में अश्वेतों का प्रवेश निषिद्ध।

➤ अश्वेतों को—

- संगठन बनाने का अधिकार नहीं
- भेदभाव का विरोध करने का अधिकार नहीं।

## रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष

### संघर्ष की शुरुआत :-

- 1950 से अश्वेत, रंगीन और भारतीय मूल के लोगों द्वारा संघर्ष।
- प्रमुख तरीके—
  - विरोध प्रदर्शन
  - हड़तालें

## नेतृत्व

➤ रंगभेद-विरोधी संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (ANC)

के झंडे तले एकजुट।

➤ साथ में—

- मजदूर संगठन

- कम्युनिस्ट पार्टी

- अनेक संवेदनशील श्वेत नागरिक

➤ कई देशों द्वारा भी रंगभेद की निंदा।

## नेल्सन मंडेला

- रंगभेद-विरोधी संघर्ष के प्रमुख नेता।
- 1964 → मंडेला और सात अन्य नेताओं को आजीवन कारावास।
- लगभग 27 वर्षों तक रोब्बेन द्वीप में कैद।



## एक नए संविधान की ओर

### परिवर्तन के कारण :-

01



संघर्ष व विरोध में वृद्धि

02



बलपूर्वक शासन जारी रखना कठिन

03



गोरी सरकार की नीतियों में परिवर्तन

04



भेदभावपूर्ण कानून वापस

05



राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध समाप्त

06



मीडिया पर पाबंदियाँ समाप्त

07



नेल्सन मंडेला की रिहाई

08



लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का उदय

## महत्वपूर्ण घटना

➤ 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि → दक्षिण अफ्रीका में  
नया झंडा।

➤ रंगभेद आधारित शासन व्यवस्था का अंत।

➤ सभी नस्लों की मिलीजुली सरकार के गठन का मार्ग  
प्रशस्त।

## नए दक्षिण अफ्रीका का आधार

अश्वेत नेतृत्व ने बदले की जगह अपनाया-

क्षमा + समानता + लोकतांत्रिक मूल्य + सामाजिक

न्याय + मानवाधिकार

➤ श्वेतों द्वारा किए गए अत्याचारों को भूलकर आगे बढ़ने का आग्रह।

➤ सभी नस्लों तथा स्त्री-पुरुष की समानता पर बल।

➤ पहले विरोधी रहे दोनों पक्ष नए संविधान के निर्माण के लिए साथ बैठे।

## संविधान निर्माण

- लगभग दो वर्षों की चर्चा और बहस।
- नागरिकों को व्यापक अधिकार।
- कठिन समस्याओं के समाधान में सबकी भागीदारी।
- किसी समूह को अलग या दुष्ट मानकर व्यवहार नहीं।
- पुराने कड़वे अनुभवों को भविष्य के लिए सबक के रूप में स्वीकार करना।

## परिणाम



## हमें संविधान की जरूरत क्यों है?

**दक्षिण अफ्रीका से सीख :** नए लोकतंत्र में दो समूह

### ➤ बहुसंख्यक अश्वेतों की चिंता

- बहुमत के शासन का सिद्धांत सुरक्षित रहे।
- सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार मिलें।

### ➤ अल्पसंख्यक श्वेतों की चिंता

- अपनी संपत्ति
- अपने विशेषाधिकार

## समझौता :

### ➤ श्वेत पक्ष

- बहुमत के शासन को स्वीकार।
- एक व्यक्ति-एक वोट को स्वीकार।
- गरीबों व मजदूरों के बुनियादी अधिकार स्वीकार

### ➤ अश्वेत पक्ष

- हर निर्णय केवल बहुमत के आधार पर नहीं।
- बहुमत के बल पर श्वेतों की संपत्ति पर कब्जा नहीं।

## संविधान की आवश्यकता

समझौता तभी स्थायी हो सकता है जब :-

01



सहमति

02



लिखित नियम

03



सभी के लिए बाध्यकारी

04



सरकार की शक्ति निर्धारित

05



नागरिक अधिकार सुरक्षित

06



शासक मनमाने ढंग से नियम न बदल सकें

07



संविधान

## मूल विचार :

- बुनियादी नियमों को लिखित रूप देना।
- नियमों को सरकार से भी ऊपर रखना।
- कोई सरकार इनकी उपेक्षा न कर सके।





## महत्वपूर्ण निष्कर्ष :

➤ संविधान वाले सभी देश लोकतांत्रिक हों –आवश्यक

नहीं।

➤ लोकतांत्रिक शासन वाले देश में संविधान – आवश्यक।



## भारतीय संविधान का निर्माण

### संविधान निर्माण के समय भारत की परिस्थितियाँ :

भारत का संविधान कठिन परिस्थितियों में निर्मित-

- विशाल एवं विविधतापूर्ण देश।
- गुलाम की हैसियत से → नागरिक की हैसियत की ओर परिवर्तन।
- धर्म के आधार पर भारत का विभाजन।
- भारत-पाकिस्तान में भारी हिंसा और बर्बादी।

- विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों ओर कम-से-कम 10 लाख लोगों की मृत्यु।
- देसी रियासतों के सामने विकल्प-
  - भारत में विलय
  - पाकिस्तान में विलय
  - स्वतंत्र रहना
- रियासतों का विलय → कठिन एवं अनिश्चित।
- संविधान निर्माताओं के सामने देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता।

## भारतीय संविधान निर्माण का रास्ता

- **प्रमुख लाभ :** भारत में संविधान निर्माण से पहले ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बुनियादी मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति विकसित।
- **राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप :** राष्ट्रीय आंदोलन केवल
  - विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष नहीं, बल्कि
    - समाज को जगाना, राजनीति बदलना, समाज को नए सिरे से गढ़ना

## संविधान से पहले बनी सहमति

1928 :

- मोतीलाल नेहरू + कांग्रेस के 8 अन्य नेता
- भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार।

1931 : कराची अधिवेशन

- स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा में-
- सार्वभौम वयस्क मताधिकार
  - स्वतंत्रता का अधिकार
  - समानता का अधिकार

## औपनिवेशिक शासन से प्राप्त अनुभव

- अंग्रेजी शासन में सीमित लोगों को मताधिकार।
- विधायिका बहुत कमजोर।
- 1937 के बाद प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव।
- सरकारें पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं।
- फिर भी विधानसभाओं में कार्य करने का अनुभव भारतीय नेताओं के लिए उपयोगी।

➤ भारतीय संविधान में पुरानी व्यवस्था की कई संस्थाएँ अपनाई गईं।

➤ उदाहरण → भारत सरकार कानून, 1935।



## विभिन्न विचारों से प्रेरणा

भारतीय नेताओं ने आवश्यकता के अनुसार विभिन्न

अनुभव अपनाए-

| स्रोत                   | प्रभाव                           |
|-------------------------|----------------------------------|
| फ्रांसीसी क्रांति       | उसके आदर्श                       |
| अमेरिका                 | अधिकारों की सूची                 |
| रूस की समाजवादी क्रांति | सामाजिक और आर्थिक समता की कल्पना |

## विशेषता :

- दूसरों की केवल नकल नहीं।
- प्रत्येक विचार पर प्रश्न – क्या यह भारत के लिए

उपयुक्त है?



## संविधान सभा

### परिभाषा

➤ चुने गए जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखती है → संविधान सभा।

### गठन

- संविधान सभा के चुनाव → जुलाई 1946
- पहली बैठक → दिसंबर 1946
- विभाजन के बाद सभा भी-

- भारत की संविधान सभा
- पाकिस्तान की संविधान सभा

### प्रमुख तथ्य

- भारतीय संविधान सभा के सदस्य → 299
- संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण → 26 नवंबर 1949
- संविधान लागू → 26 जनवरी 1950
- 26 जनवरी → गणतंत्र दिवस।

## संविधान की वैधता के कारण

### व्यापक सहमति

- संविधान केवल संविधान सभा के सदस्यों के व्यक्तिगत विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं।
- अपने समय की व्यापक राष्ट्रीय सहमति का प्रतिनिधित्व।

- संविधान की वैधता पर किसी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल द्वारा मूल प्रश्न नहीं उठाया गया।

## प्रतिनिधित्व

- सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव नहीं।
- मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों द्वारा चुनाव।
- फिर भी सभी भौगोलिक क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व।
- कांग्रेस का प्रभुत्व, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी विभिन्न विचारधाराएँ।

## ➤ सभा में—

- विभिन्न समूह

- जातियाँ

- वर्ग

- धर्म

- पेशे का प्रतिनिधित्व।

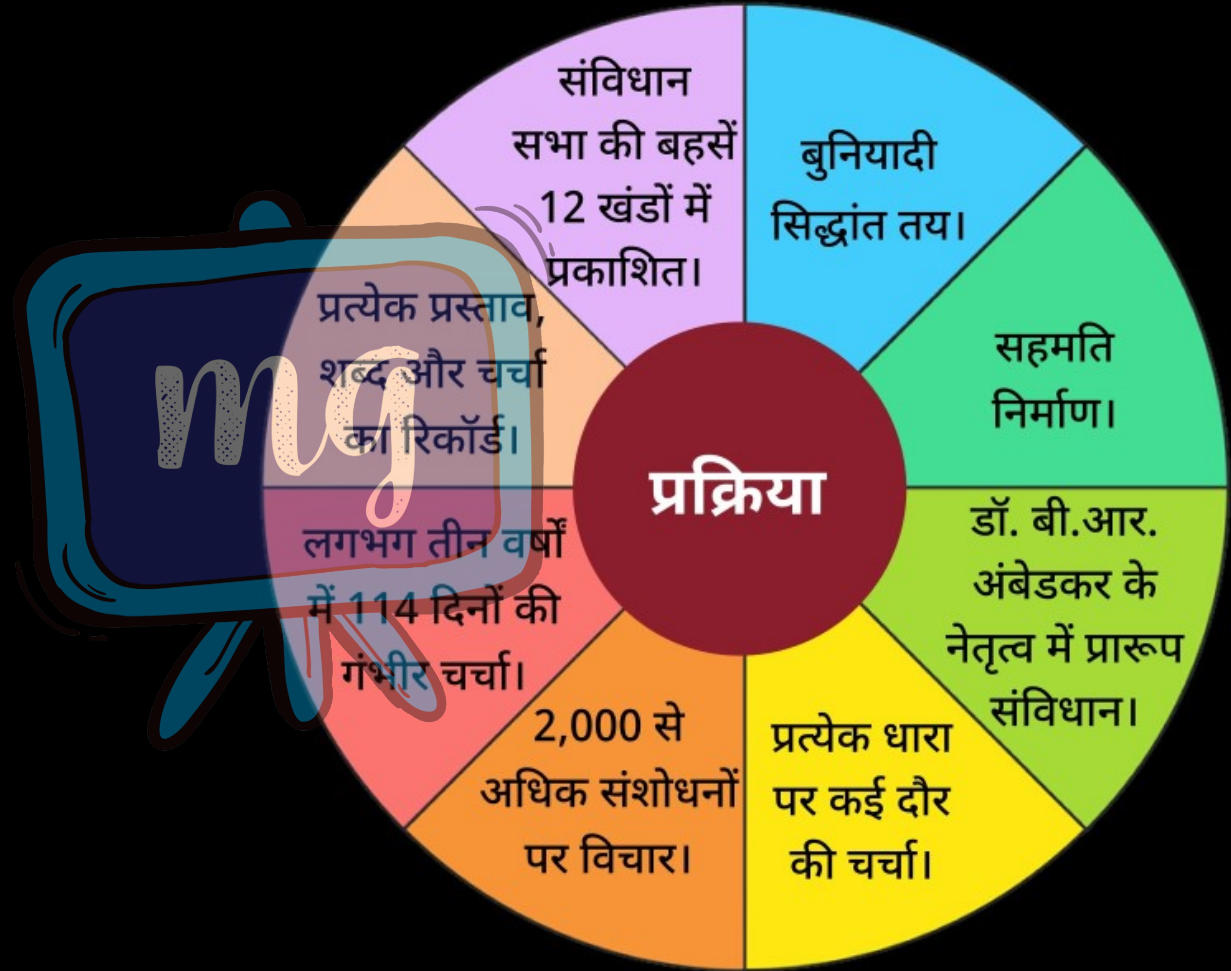


# कार्यप्रणाली

➤ संविधान सभा का कार्य—

- व्यवस्थित + खुला + सर्वसम्मति आधारित





## संविधान सभा के प्रमुख सदस्य

| सदस्य               | प्रमुख भुमिका/विशेषता                |
|---------------------|--------------------------------------|
| डॉ. राजेंद्र प्रसाद | संविधान सभा के अध्यक्ष               |
| डॉ. बी.आर. अंबेडकर  | प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष             |
| टी.टी. कृष्णामचारी  | प्रारूप कमेटी के सदस्य               |
| एच.सी. मुखर्जी      | संविधान सभा के उपाध्यक्ष             |
| वल्लभभाई पटेल       | रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका |
| सरोजिनी नायडू       | अग्रणी महिला कांग्रेसी नेता          |
| अबुल कलाम आजाद      | राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका   |

## संविधान सभा के प्रमुख सदस्य

| सदस्य                 | प्रमुख भुमिका/विशेषता                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| जयपाल सिंह            | आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष                |
| जी. दुर्गाबाई देशमुख  | महिला मुक्ति कार्यकर्ता                           |
| बलदेव सिंह            | पंथक अकाली पार्टी के नेता                         |
| के.एम. मुंशी          | वकील, इतिहासकार, भाषाविद् एवं गांधीवादी           |
| श्यामा प्रसाद मुखर्जी | हिंदू महासभा में सक्रिय                           |
| जवाहरलाल नेहरू        | समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद-विरोध के पक्षधर |
| सोमनाथ लाहिड़ी        | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता                  |

## भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य

**संविधान का दर्शन-** संविधान के दर्शन को समझने के दो

माध्यम

- नेताओं के विचार
- संविधान की प्रस्तावना

## महात्मा गांधी का सपना

- गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों से प्रभावित।
- गांधी की कल्पना का भारत
  - गुलामी और अधीनता से मुक्त
  - गरीब व्यक्ति को भी अपना लगे
  - प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी
  - उच्च और निम्न वर्ग का अभाव

- सभी समुदायों में मेल-जोल
- छुआछूत का अभाव
- शराब व नशीली चीजों के लिए स्थान नहीं
- महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार।



## डॉ. बी.आर. अंबेडकर की चिंता

- लक्ष्य → भेदभाव और गैर-बराबरी से मुक्त भारत।
- राजनीतिक समानता और सामाजिक-आर्थिक असमानता के बीच विरोधाभास पर चिंता।



## मुख्य विचार

### ➤ राजनीतिक जीवन

- एक व्यक्ति-एक वोट
- प्रत्येक वोट का समान महत्व

### ➤ सामाजिक-आर्थिक जीवन

- असमानता जारी रहने का खतरा।

### ➤ चेतावनी

- सामाजिक व आर्थिक समानता को लंबे समय तक नकारना → राजनीतिक लोकतंत्र के लिए संकट।

## जवाहरलाल नेहरू : स्वतंत्र भारत का लक्ष्य

अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के भाषण में-

- 
- आजादी के साथ जिम्मेदारी।
  - भारत और उसके लोगों की सेवा।
  - मानवता की सेवा।

## ➤ समाप्त करने का लक्ष्य-

- दरिद्रता
- अज्ञान
- बीमारी
- अवसर की असमानता

➤ जब तक लोगों का कष्ट समाप्त नहीं → कार्य अधूरा।

## प्रस्तावना : संविधान की आत्मा

### प्रस्तावना का अर्थ-

- संविधान की शुरुआत में मूल्यों की संक्षिप्त उद्देशिका।
- पूरे संविधान के पीछे के दर्शन का प्रतिबिंब।
- सरकार के कानूनों और फैसलों को परखने का मानक।
- भारतीय संविधान की आत्मा।

## प्रस्तावना के प्रमुख शब्द

### 1. "हम भारत के लोग"

- संविधान का निर्माण एवं अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से।
- किसी राजा या बाहरी शक्ति द्वारा प्रदत्त नहीं।

## 2. प्रभुत्व-संपन्न

- अपने मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास।
- कोई बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती।



### 3. समाजवादी

- संपदा समाज में सामूहिक रूप से पैदा।
- उसका वितरण समानता के साथ होना चाहिए।
- सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने की दिशा में नियम।



## 4. पंथ-निरपेक्ष

- किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता।
- कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं।
- सभी धार्मिक मान्यताओं व आचरणों को समान सम्मान।



## 5. लोकतंत्रात्मक

- लोगों को समान राजनीतिक अधिकार।
- लोग अपने शासकों का चुनाव।
- सरकार को जवाबदेह बनाना।
- शासन बुनियादी नियमों के अनुरूप।



## 6. गणराज्य

- शासन प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ।
- किसी वंश या राज-परिवार के आधार पर नहीं।



## प्रस्तावना के आदर्श

न्याय

➤ सामाजिक + आर्थिक + राजनीतिक न्याय

▪ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं।

स्वतंत्रता

➤ विचार

➤ अभिव्यक्ति

➤ विश्वास

➤ धर्म

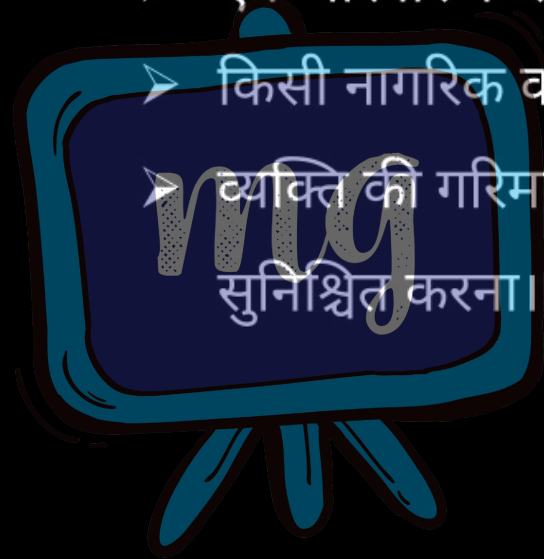
- उपासना
- की स्वतंत्रता।

### समता

- कानून के समक्ष सभी समान।
- सामाजिक असमानताओं का अंत।
- प्रत्येक नागरिक को समान अवसर।

## बंधुता

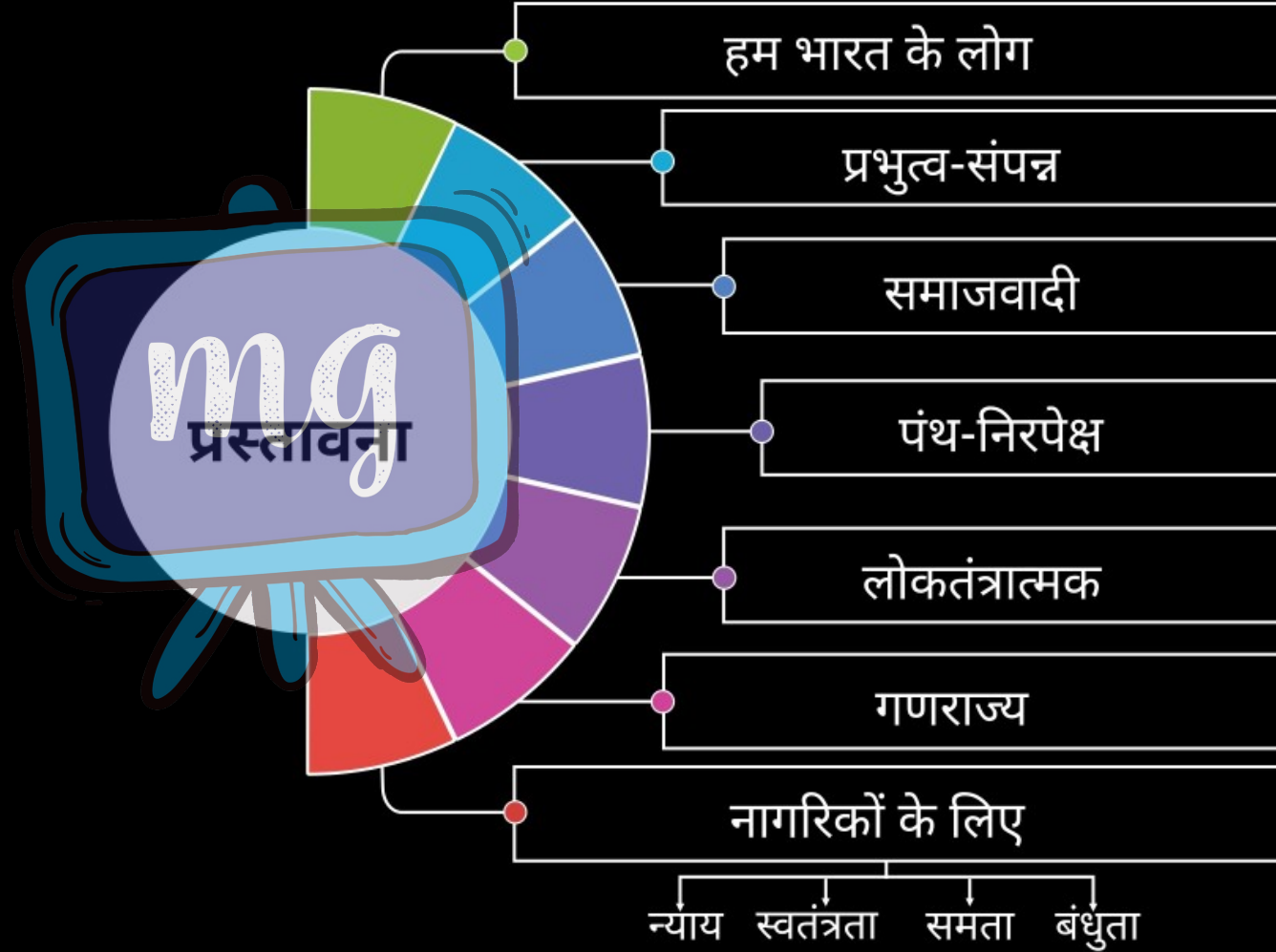
- एक परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार।
- किसी नागरिक को अपने से कमतर न समझना।
- व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना।



## महत्वपूर्ण तथ्य :

- 'समाजवादी' और 'पंथ-निरपेक्ष' शब्द → 42वाँ संविधान संशोधन, 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए।





## संस्थाओं का स्वरूप

संविधान  
केवल मूल्यों  
और दर्शन का  
बयान नहीं

इन मूल्यों को  
संस्थागत  
रूप देना

शासकों के  
चुनाव के  
नियम

शक्ति का  
विभाजन

निर्णय लेने का  
अधिकार

नागरिक  
अधिकार

सरकार की  
शक्ति पर  
सीमा

## संविधान की प्रकृति

- लंबा और विस्तृत दस्तावेज।
- बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की व्यवस्था।
- संविधान को पूर्णतः स्थायी और अपरिवर्तनीय नहीं माना गया।



# संविधान संशोधन- समय-समय पर संविधान में किए जाने वाले बदलाव



| महत्वपूर्ण शब्दावली |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| शब्द                | अर्थ                                                             |
| रंगभेद              | दक्षिण अफ्रीका में नस्ली अलगाव और भेदभाव पर आधारित शासन व्यवस्था |
| धारा                | किसी दस्तावेज का विशेष हिस्सा/अनुच्छेद                           |
| संविधान             | देश का सर्वोच्च कानून; राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून |
| संविधान संशोधन      | सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा संविधान में किया गया बदलाव         |
| संविधान सभा         | संविधान लिखने वाली जनप्रतिनिधियों की सभा                         |

| महत्वपूर्ण शब्दावली |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| शब्द                | अर्थ                                                              |
| प्रारूप             | कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप                                  |
| दर्शन               | सोच और कार्य को दिशा देने वाले बुनियादी विचार                     |
| प्रस्तावना          | संविधान का प्रारंभिक कथन जिसमें बुनियादी मूल्य व अवधारणाएँ व्यक्त |
| देशद्रोह            | देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश का अपराध                    |

| महत्वपूर्ण तिथियाँ |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| वर्ष/तिथि          | घटना                                                           |
| 1928               | मोतीलाल नेहरू व आठ अन्य नेताओं द्वारा संविधान का प्रारूप       |
| 1931               | कराची कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा |
| 1937 के बाद        | प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव                                  |
| जुलाई 1946         | संविधान सभा के चुनाव                                           |
| दिसंबर 1946        | संविधान सभा की पहली बैठक                                       |

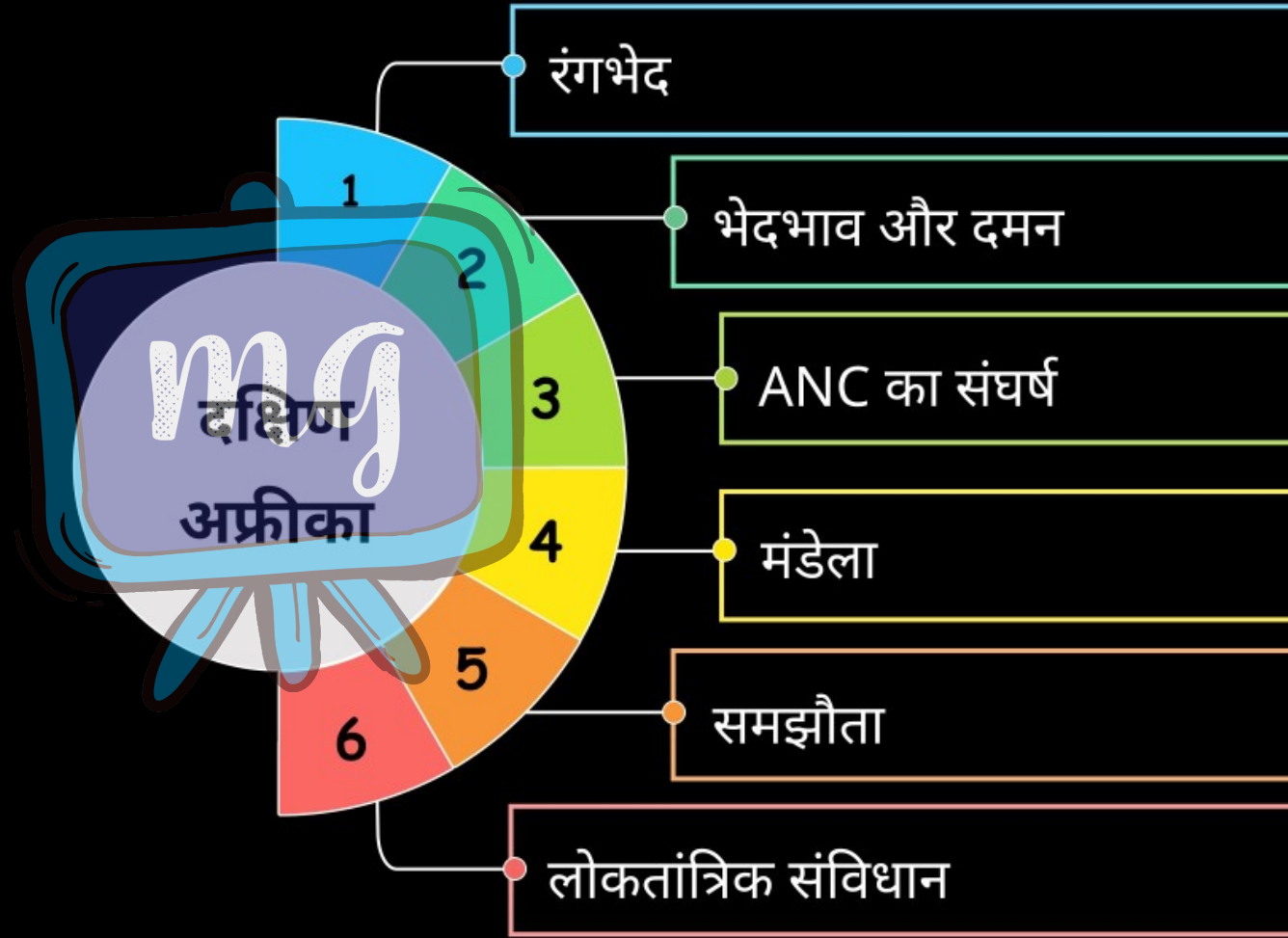
| महत्वपूर्ण तिथियाँ |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| वर्ष/तिथि          | घटना                                                                  |
| 15 अगस्त 1947      | स्वतंत्रता; नेहरू का प्रसिद्ध मध्यरात्रि भाषण                         |
| 26 नवंबर 1949      | संविधान सभा का संविधान निर्माण कार्य पूर्ण                            |
| 26 जनवरी 1950      | संविधान लागू                                                          |
| 1976               | 42वें संशोधन से 'समाजवादी' व 'पंथ-निरपेक्ष' शब्द प्रस्तावना में शामिल |



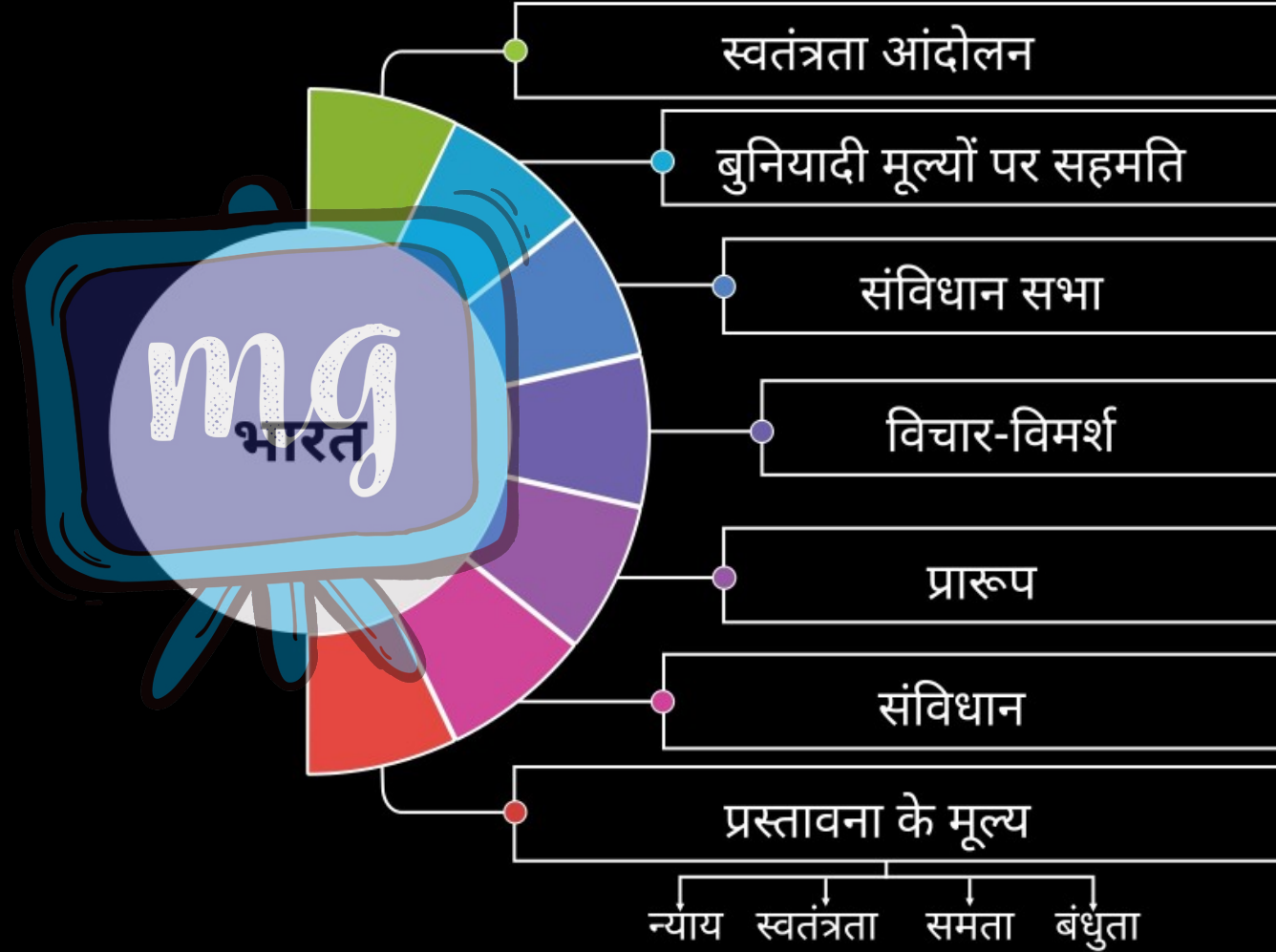
दक्षिण अफ्रीका

संविधान की आवश्यकता

भारतीय संविधान







## एक-पंक्ति पुनरावृत्ति बिंदु

- संविधान → देश का सर्वोच्च कानून।
- संविधान सभा → संविधान निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों की सभा।
- दक्षिण अफ्रीकी लोकतंत्र → रंगभेद-विरोधी संघर्ष व समझौते का परिणाम।
- संविधान का प्रमुख उद्देश्य → विश्वास, शासन, अधिकार-सुरक्षा व आदर्श समाज की आकांक्षा।

- भारतीय संविधान → कठिन परिस्थितियों व राष्ट्रीय सहमति में निर्मित।
- संविधान सभा → 299 सदस्य।
- प्रारूप समिति के अध्यक्ष → डॉ. बी.आर. अंबेडकर।
- संविधान सभा के अध्यक्ष → डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
- संविधान निर्माण कार्य पूर्ण → 26 नवंबर 1949।
- संविधान लागू → 26 जनवरी 1950।
- संविधान का दर्शन → प्रस्तावना में व्यक्त।
- प्रमुख आदर्श → न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता।

- संविधान → मूल्यों को संस्थागत रूप देने का माध्यम।
- बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन → संविधान

